



S.M.D. College

(SRIPALPUR, PUNPUN, PATNA)

(A Constituent Unit of Patliputra University, Patna)

NAAC Accredited Grade- 'B'

smdcollege59@gmail.com | www.smdcollegepunpun.com

Office of the Principal

Ref.:

Date : 03-08-2022


सूचना

स्नातक सत्र:- 2022-25 के प्रथम वर्ष में नामांकन लेने हेतु सभी छात्र-छात्राओं को सूचित किया जाता है कि जिनका पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा प्रथम मेधा सूचि के अनुसार नामांकन हेतु इस महाविद्यालय में चयन हुआ है वे दिनांक:- 03.08.2022 से दिनांक:- 15.08.2022 तक ऑनलाईन माध्यम से महाविद्यालय के वेबसाईट admission.smdcollegepunpun.ac.in पर Degree Admission लिंक पर क्लिक कर अपना नामांकन अवश्य करा लें। नामांकन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्राप्त Unique ID (22G0000000) का प्रयोग करें।

नामांकन कराने से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित निर्देशिका को Download कर अच्छी तरह पढ़ लें एवं उसमें वर्णित निर्देशों का पालन करते हुए अपना नामांकन करायें अन्यथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर छात्र-छात्राएँ स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नामांकन शुल्क:-

<u>Class</u>	<u>General/BC-2</u>	<u>BC-1</u>	<u>SC/ST</u>	<u>Girls</u>
B.A.	2102/-	1934/-	1920/-	900/-
B.Sc.	2138/-	1946/-	1930/-	900/-
Online Processing Charge Rs. 100/-				



प्रधानाचार्य,
एस. एम. डी. कॉलेज,
श्रीपालपुर, पुनपुन, पटना।


03-8-22

INSTRUCTION FOR STUDENT

विद्यार्थियों के लिए नीचे आवश्यक निर्देश दिये गये हैं। विद्यार्थी आवेदन करने के पूर्व इसे डाउनलोड (**Download**) कर अवश्य पढ़ लें। तत्पश्चात ही आवेदन पत्र को भरें।


- (1) नामांकन प्रपत्र (Admission form) भरने के पूर्व निम्न प्रमाण पत्रों को स्कैन (scan) कर Admission Portal पर डालना अनिवार्य है :-
 - (a) अंक पत्र (Marksheet) – 10वीं एवं 12वीं
 - (b) विद्यालय/कॉलेज परित्याग प्रमाण पत्र (School/College leaving certificate)
 - (c) माईग्रेशन (Migration)
 - (d) जाति प्रमाण पत्र (Caste certificate) (If applicable)
 - (e) EWS certificate (If applicable)
 - (f) दिव्यांग (Handicapped) (If applicable)
- (2) Admission Portal पर बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित जाति एवं वर्ग (Caste and Category) की सूची डाल दिया गया है। जिन विद्यार्थियों के लिए यह मान्य है वो अपने जाति एवं वर्ग (Caste and Category) को अच्छी तरह देखकर ही नामांकन प्रपत्र (Admission form) में भरें अन्यथा गलत भरने पर नामांकन प्रपत्र (Admission form) निरस्त/रद्द हो जायेगा। लोहार जाति (ST) वर्ग से हटाकर OBC के Annexure-I में डाल दिया गया है।
- (3) डिग्री स्तर पर दो तरह के पाठ्यक्रम हैं:-
 - (i) प्रतिष्ठा (Honours)
 - (ii) सामान्य (General)विद्यार्थी को Admission form में स्पष्ट रूप से भरना होगा कि विद्यार्थी प्रतिष्ठा (Honours) कोर्स में नामांकन लेना चाहते हैं अथवा सामान्य (General) कोर्स में।
- (4) वैसे विद्यार्थी जिन्होंने XIIth (बारवीं) के Regular course में अगर VIth Paper अतिरिक्त विषय के रूप में लिया है और नामांकन VIth Paper अर्थात Extra paper वाले प्रतिष्ठा विषय में लेना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में Admission form में कुल प्राप्तांक (Total marks) VIth Paper (Extra subject) के अनुसार भरेंगे और अपना Vth Paper का अंक (Marks) कुल प्राप्तांक (Total marks) में से (-) कर भरेंगे।
- (5) विद्यार्थी उसी विषय में ऑनर्स (Honours) के लिए आवेदन करेंगे जिस विषय में उन्हें कम से कम 45% अंक प्राप्त हुए हैं।


30/1/2022

- (6) इन्टर विज्ञान/कला (I.Sc./I.A.)/XIth उत्तीर्ण विद्यार्थी जिनका कुल प्राप्तांक 50% या उससे अधिक है वे B.Com. में नामांकन करा सकते हैं।
- (7) भूगोल (Geography), गणित (Mathematics) एवं सांख्यिकी (Statistics) विषय में नामांकन वही विद्यार्थी ले सकते हैं जो इन्टर में वर्णित विषय के विद्यार्थी रहें हों।
- (8) आवेदन प्रपत्र भरते समय विद्यार्थियों को अपनी पसंद और प्राथमिकता के आधार पर दस (10) अंगीभूत (Constituent) एवं दस डिग्री सम्बद्ध (Affiliated) महाविद्यालयों का चयन करना अनिवार्य होगा। मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के प्राप्तांक उनके आरक्षण की कोटि (यदि लागू हो) और उनके द्वारा चयनित महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों के आधार पर कम्प्यूटर के द्वारा जारी किया जाता है। किसी विद्यार्थी को कौन सा महाविद्यालय आवंटित हो रहा है यह उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में उनके मेधा के अनुसार उपलब्ध सीटों के आधार पर होता है और इसमें विश्वविद्यालय का कोई दखल नहीं होता है। (B.Com तथा कुछ अन्य विषयों में जिनके उपरोक्त संख्या में महाविद्यालय उपलब्ध नहीं है उनके लिए कम्प्यूटर में विकल्प उपलब्ध रहेगा)

आवेदन (apply) करने के बाद विद्यार्थी को दो (02) बार महाविद्यालय सूची की प्राथमिकता जाँचने और उस आधार पर पुनः महाविद्यालय सूची में परिवर्तन करने का मौका मिलेगा, अर्थात् आवेदन पत्र भरने से लेकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के बीच विद्यार्थी महाविद्यालय सूची की प्राथमिकता (Priority) में दो बार परिवर्तन कर सकते हैं। अपने Log in से बाहर निकलने के पहले सभी कॉलम सही तरीके से भरा गया है या नहीं संतुष्ट हो लें तब ही Log out करें।

- (9) Admission Portal पर पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आनेवाले सभी अंगीभूत (Constituent) और डिग्री सम्बद्ध (Affiliated) महाविद्यालयों की सूची दी गयी। जिसमें जिला (District) में अवस्थित है डाला गया है।
- (10) एक विद्यार्थी आवेदन करते समय अधिकतम (maximum) 03 (तीन) ऑनर्स (Honours) विषयों का ही चयन कर सकते हैं।
- (11) प्रथम मेधा सूची का प्रकाशन विद्यार्थियों के अंक एवं उनके द्वारा चयनित महाविद्यालय में CUT OFF अंक से किया जा रहा है तथा मेधा सूची उसी के आधार पर होगा। प्रथम मेधा सूची का नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो जाने पर महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों का द्वितीय मेधा सूची का कोटिवार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जैसे विद्यार्थी जो प्रथम मेधा सूची में प्रथम वरीयता वाले महाविद्यालय में स्थान प्राप्त कर लिए परन्तु नामांकन नहीं लिए, उन लोगों को द्वितीय मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। यही क्रम तृतीय मेधा सूची में भी अपनाया जाएगा।


30/7/2022

नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया के दौरान (तृतीय मेधा सूची तक) नामांकन रद्द कराने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहेगा।

- (12) Admission Portal पर सभी महाविद्यालयों के सभी विषयों का CUT OFF दिखता रहेगा। अतः Portal से ही विद्यार्थी अपने selection का पता लगा पायेंगे।
- (13) विद्यार्थी द्वारा आवेदन में भरे गए अंक (marks) के आधार पर मैरिट लिस्ट (Merit list) तैयार किया जाता है। अगर नामांकन के समय मूल अंक पत्र से मिलान करने के वक्त अगर अंकों में अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द हो जाएगा।
- (14) विद्यार्थी द्वारा आवेदन में भरे गए Caste and Category को आधार मान कर मेधा सूची तैयार किया गया है। अगर नामांकन के समय मूल Caste certificate and Category से मिलान करने के वक्त अंतर आता है तो ऐसी स्थिति में नामांकन रद्द हो जाएगा।

उपरोक्त दोनो कंडिका 13 एवं 14 के आधार पर रद्द हुए नामांकन के लिए विद्यार्थी को कारण बताते हुए उपयुक्त दस्तावेजों के साथ 24 घण्टे के अन्दर महाविद्यालय में आवेदन भेजा अनिवार्य होगा।

यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि अर्थात 24 घण्टे के अन्दर महाविद्यालय में आवेदन नहीं भेजते हैं तो उनका नामांकन रद्द करते हुए नामांकन प्रक्रिया से बाहर करदिया जाएगा।


यदि विद्यार्थी निर्धारित अवधि में आवेदन भेज देते हैं तो तृतीय मेधा सूची के बाद संशोधन (correction) कर विद्यार्थी को चौथे मेधा सूची में शामिल होने का मौका दिया जाएगा।

- (15) इन्टर/XIth उत्तीर्ण पूर्ववर्ती विद्यार्थियों के लिए मेधा सूची में वर्ष अंतराल का जुर्माना (Gap year penalty) लगेगा जो प्रत्येक पूर्व वर्ष के अंतराल के लिए 2% एवं अधिकतम 8% होगा।
- (16) विद्यार्थियों द्वारा नामांकन प्रपत्र भरने के दौरान यदि –


- (a) पिता का नाम (Father's Name),
- (b) माता का नाम (Mother's Name)
- (c) जन्मतिथि (Date of Birth)
- (d) धर्म (Religion)

आदि में आंशिक त्रुटि पायी जाती है तो महाविद्यालय अपने स्तर से विद्यार्थियों से आवेदन प्राप्त कर आंशिक त्रुटि का सुधार करने के बाद ही Validation करेंगे।

आंशिक त्रुटि का महाविद्यालय द्वारा सुधार आवश्यक है। ऐसा नहीं करने पर Registration Portal पर भी ये गलती मौजूद मिलेगा।

 30/12/2022

- (17) विद्यार्थियों द्वारा Admission process पूरा करने के तुरन्त बाद महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों का Admission Validate होगा। Validation के तुरन्त बाद विद्यार्थी को Registration Portal पर जाकर अपने Registration link से Registration करना होगा। अतः महाविद्यालय के लिए Admission के तुरन्त बाद Admission का Validation आवश्यक हो जाता है, अन्यथा विद्यार्थी सही समय पर Registration नहीं कर पायेंगे। Registration के बाद नामांकन रद्द नहीं हो सकेगा।
- (18) Admission एवं Registration कराने के बाद ही विद्यार्थी का Admission process पूरा होगा।
- (19) Registration link पर Registration कराने के बाद एवं विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के 10 दिनों के बाद विद्यार्थी Portal पर जाकर अपना Registration slip डाउनलोड (Download) कर पायेंगे।
- (20) विद्यार्थियों का नामांकन एवं पंजीकरण संबंधी किसी भी प्रकार की त्रुटि का निवारण (correction) महाविद्यालय द्वारा ही किया जाएगा। इस संबंध में छात्रों को विश्वविद्यालय आने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- (21) विशेष परिस्थिति में वैसे विद्यार्थी जिनका नाम मेधा सूची में आ गया है परन्तु बोर्ड (Board) द्वारा यथा—
- (i) मूल अंक पत्र (Original Mark sheet) XIIth
 - (ii) मूल माईग्रेशन (Original Migration)
 - (iii) C.L.C./S.L.C
- निर्गत नहीं किया गया हो, वे अपने Online प्राप्त Marks sheet को प्राचार्य/प्रधानाचार्य से सत्यापित कराकर एवं विद्यालय के Letter Head पर माईग्रेशन (Migration) एवं C.L.C./S.L.C निर्गत नहीं होने का प्रमाण पत्र ला कर महाविद्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
- उपरोक्त विशेष परिस्थिति में उनका औपबंधिक (Provisional) नामांकन (Admission) लिया जाएगा। औपबंधिक (Provisional) नामांकन (Admission) के समय छात्र को इस आशय का एक आवेदन शपथ पत्र के रूप में देना होगा कि उपरोक्त सभी प्रमाण पत्र 15 (पंद्रह) दिनों के अन्दर जमा कर देंगे अन्यथा यदि निर्धारित समय सीमा के अन्दर में सभी प्रमाण पत्र जमा नहीं करने की स्थिति में नामांकन स्वतः निरस्त हो जाएगा।
- (22) ऐसे छात्रों का Admission Validation का दो stages होगा।
- पहले stage में छात्र के उपरोक्त सभी documents के समक्ष No Tick लगाकर Validation होगा। दूसरे stage में 30 दिन के अन्दर छात्र द्वारा उपरोक्त documents कॉलेज में Admission


30/1/2022

Incharge के पास जमा होने बाद कॉलेज द्वारा पुनः No की जगह Yes कर उस छात्र का Validation करेंगे, अर्थात जब छात्र के द्वारा सारे documents का Yes कर Validation हो जाएगा। उसके बाद ही छात्र का Registration slip download होगा।


(23) विश्वविद्यालय द्वारा 3 (तीन) मेधा सूची आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए निकाली जायेगी। इसके उपरान्त बचे हुए सीटों पर चौथी (4th) मेधा सूची जो खुली योग्यता सूची (Open merit) पर आधारित होगी।

(a) खुली योग्यता सूची (Open Merit list) का तात्पर्य यह है कि इस सूची को आरक्षण अधिनियम 2003 की धारा 6(a), 6(b) एवं 6(c) में वर्णित प्रावधान के अनुसार भरा जाएगा एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षित सीटें खाली रहने की स्थिति में उन सीटों को बिहार (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए) आरक्षण नियमावली 2019 की धारा-7 के अनुसार भरा जा सकेगा।

द्वितीय मेधा सूची में सीटों की रिक्तियाँ प्रथम मेधा सूची से नामांकन के उपरांत बचे हुए सीटों के आधार पर होगी। जैसे विद्यार्थी जिनको प्रथम मेधा सूची में किसी महाविद्यालय में नामांकन नहीं मिला या उनको आवंटित महाविद्यालय उनके पसंद का नहीं हुआ और वे नामांकन नहीं कराये हैं, जैसे सभी विद्यार्थी पुनः द्वितीय मेधा सूची में अपने पसंद के महाविद्यालयों का विकल्प भर सकते हैं। तृतीय मेधा सूची के लिए भी यही प्रक्रिया दोहराई जाएगी। एक बार यदि कोई विद्यार्थी अपना नामांकन प्रथम, द्वितीय या तृतीय मेधा सूची में ले लेता है तो वह पुनः आगे की नामांकन प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाएगा। नामांकित विद्यार्थियों का नामांकन प्रक्रिया के दौरान (तृतीय मेधा सूची तक) नामांकन रद्द कराने का कोई विकल्प नहीं होगा।

(24) 4th Open Merit cum Spot Round का नामांकन महाविद्यालयों में उपलब्ध सीटों पर उन्हीं महाविद्यालयों के द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी विश्वविद्यालय के पोर्टल पर अपने Log in ID से Spot Round के लिए Blank offer letter download करेंगे तथा अपने इच्छित महाविद्यालय में उसे तय समय सीमा के अन्दर जमा करेंगे। Blank offer letter में confidential number भी रहेगा जिसे महाविद्यालय आवेदकों से प्राप्त कर अपने पास रखेंगे। महाविद्यालय कडिका 23 (a) में वर्णित प्रावधानों के अनुकूल बचे हुए सीटों पर मेधा सूची के आधार पर नामांकन करेंगे।

Spot Admission के संबंध में विशेष जानकारी 4th मेधा सूची के नामांकन के बाद विश्वविद्यालय अपने Website के माध्यम से देगा, अर्थात छात्र 4th मेधा सूची के बाद Spot Admission के संबंध में Admission portal से जानकारी लेते रहेंगे।



30/7/2022

(25) कोटा से नामांकन (Quota Admission) के लिए भी विद्यार्थियों को online आवेदन भरते समय ही आवेदन करना होगा। offline नामांकन का कोई प्रावधान (Provision) पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में नहीं है। कोटा सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया (दिव्यांग को छोड़कर) सभी मेधा सूची की प्रक्रिया समाप्त होने के उपरान्त की जाएगी। Quota के तहत category का निर्धारण निम्न प्रतिशत के रूप में किया गया है।

(1)	Donor/Ward/NRI	-	2% (Only Son/Daughter)
(2)	Sports	-	2% (National level/State level/District level and University Championship)
(3)	Fine Arts	-	2% (National level/State level/District level and University Championship)
(4)	NCC/NSS	-	1%
(5)	Ward of Ex-Army	-	1%
(6)	Physically Challenged	-	3% (minimum 40% disability Horizontal reservation)

Quota Reservation के तहत Admission के लिए आवेदन करते वक्त Quota से संबंधित प्रमाण पत्र (Certificate) अपने अन्य प्रमाण पत्र (Certificate) के साथ portal पर Load करना अनिवार्य होगा, अन्यथा विद्यार्थी का आवेदन Quota के तहत नहीं मान्य होगा।

(26) आरक्षण का लाभ सिर्फ बिहार के विद्यार्थियों को मिलेगा। अर्थात बिहार सरकार के कार्यालय से निर्गत प्रमाण पत्र को ही आरक्षण का आधार माना जाएगा। अन्य राज्य के निवासी को आरक्षण लाभ नहीं मिलेगा।


30/01/2022